

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

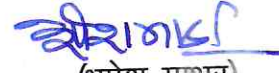
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-392) अलेसे- I/ 3150-3158 दिनांक:- 07/03/2024

आदेश

कार्यालय पंचायत समिति, थानागाजी, अलवर के पत्र क्रमांक पसथा/संस्थापन /2024/804-06 दिनांक 05.02.2024 द्वारा श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 5488) कार्यालय पंचायत समिति, थानागाजी, अलवर द्वारा दिनांक 02.02.2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द बलाई के साथ मारपीट करने के कारण कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा पुलिस थाना थानागाजी, अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0050 दिनांक 02.02.2024 के आधार पर श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2024 को हिरासत में लिया गया था।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को गिरफ्तारी दिनांक 02.02.2024 से 48 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण इनको दिनांक 02.02.2024 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा में रहेगा।

श्री सम्पतराम मीना को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-392) अलेसे- I/ 3150-3158 दिनांक:- 07/03/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी, अलवर।
- 3 कोषाधिकारी, दौसा।
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी जिला अलवर को उनके पत्र क्रमांक 804-806 दिनांक 05.02.2024 के सन्दर्भ में।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 6 श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, थानागाजी, अलवर।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)